सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (**Government of India : Ministry of Home Affairs**)
हैदराबाद रू **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : Notified Recruitment Rules for the post of Upper Division Clerk- Reg.

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Upper Division Clerk is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column

15/1
(N.Madhusudhana Reddy)
I/c Deputy Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 19011/1/2009/Estt/RRs/A-5/UDC Dated: 15 .01.2019

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 51] नई दिल्ली, दिसम्बर 16—दिसम्बर 22, 2018, शनिवार/ अग्रहायण 25—पौष 1, 1940

No. 51] NEW DELHI, DECEMBER 16—DECEMBER 22, 2018, SATURDAY/AGRAHAYANA 25— PAUSA 1, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.395.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अराजपत्रित अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 1987 को जहां तक उनका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अर्थात् सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उच्च श्रेणी लिपिक भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—**जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उच्च श्रेणी लिपिक	14* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4	अचयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्षीय नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारीः (1) जो सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (2) अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्षीय नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1–** प्रतिनियुक्ति कि अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे–** 1. उप निदेशक – अध्यक्ष। 2. सहायक निदेशक – सदस्य। 3. प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी–2 या श्रेणी–3 – सदस्य।	लागू नहीं होता।

संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति कि अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2**– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3**– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु –सीमा आवेदन प्राप्त करने कि अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. 23011/39/2017–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 18th December, 2018

G.S.R. 395.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Non-Gazetted Ministerial Staff) Recruitment Rules, 1987, in so far it relate to the post of Upper Division Clerk except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Upper Division Clerk) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the above said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes, ex-servicemen and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Upper Division Clerk	14* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Ministerial	Level-4 in the pay matrix	Non- selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Lower Division Clerks with eight years regular service in the grade. Deputation: Officers of the Central Government: (i) Holding analogous post on regular basis; or (ii) Lower Division Clerks with eight years regular service in the grade. **Note 1.—** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.–** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment of deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3.–** The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.	**Group 'C' Department Promotion Committee consisting of:** (1) Dy. Director – Chairman; (2) Asstt. Director – Member; (3) Administrative Officer, Grade-II or Grade-III -Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/39/2018-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.